

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या:-

52 / 2018

निर्णय दिनांक:-

12.01.2021

उनवान

प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति खंगार निवासी ग्राम बिलोता तहसील उनियारा जिला टोक
-प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

- प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 2174 रकबा 0.29, ख0न0 2175 रकबा 0.04, ख0न0 2176 रकबा 0.08, ख0न0 2177 रकबा 2.16, ख0न0 2197 रकबा 0.95, ख0न0 2198 रकबा 0.30, ख0न0 2199 रकबा 0.19, ख0न0 2200 रकबा 0.02 कुल किता 8 कुल रकबा 4.03 है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील उनियारा में स्थित है। प्रार्थी का सही नाम प्रहलाद है तथा बचपन में माता पिता लाड प्यार से लोडक्या भी कहते थे, लेकिन राजस्व रेकार्ड में बिना जानकारी किये राजस्व कमचारियों से सहवन से प्रार्थी का नाम प्रहलाद नहीं लिखकर लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण लिख दिया गया, जो कि गलत अंकित कर दिया गया है। मतदाता सूची, पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण ही दर्ज है। प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी वैधानिक अधिकारो अर्थात भूमि पर केसीसी बनवाने, हस्तान्तरण रहन अर्थात सभी अधिकारों से वंचित हो रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड ख0न0 2174 रकबा 0.29, ख0न0 2175 रकबा 0.04, ख0न0 2176 रकबा 0.08, ख0न0 2177 रकबा 2.16, ख0न0 2197 रकबा 0.95, ख0न0 2198 रकबा 0.30, ख0न0 2199 रकबा 0.19, ख0न0 2200 रकबा 0.02 कुल किता 8 कुल रकबा 4.03 है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील उनियारा में प्रार्थी का नाम लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।



उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रतिपक्षी पेरकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बिलोता मे आ0ख0न0 2174, 2175, 2176, 2177, 2197, 2198, 2199, 2200 किता 8 रकबा 4.03 है0 लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण खंगार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दिनांक 2.6.89 को ना0न0 40 से प्रार्थी के पिता की विरासत े ना0करण दर्ज करते समय ही लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम ही दर्ज किया गया है। प्रार्थी स्वयं के निजी दस्तावेजों पहचान पत्र, राशनकार्ड व आधार कार्ड के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन कराना चाहता है। लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण के बजाय प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2074 खाता संख्या 539 ख0न0 2174, 2175, 2176, 2177, 2197, 2198, 2199, 2200 कुल किता 8 कुल रकबा 4.04 है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील उनियारा मे लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/9 जाति खंगार सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, मे प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है। प्रार्थी का उक्त नाम जरिये विरासत दर्ज हुआ है। तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्व रेकार्ड मे नाम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की गई है। प्रार्थी के सह खातेदार व सगे भाई फुल्या व रूपचन्द ने ी शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का सही नाम प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण ही बताया है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 539 ख0न0 2174, 2175, 2176, 2177, 2197, 2198, 2199, 2200 कुल किता 8 कुल रकबा 4.04 है0 वाके ग्राम बिलोता तहसील उनियारा मे लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर प्रहलाद उर्फ लोडक्या पुत्र लक्ष्मीनारायण अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तीय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा